भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रू.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BD 632152

अनुबन्ध पत्र

प्रथम पक्षकार–मुख्य चिकित्सा अधिकारी सदस्य सचिव,जिला स्वाास्थ्य सोसाइटी जनपद–जौनपुर।

द्वितीय पक्षकार मेसर्स गोविन्द ट्रेवेल्स जीवन प्लाजा विरामखण्ड–5 गोमती नगर लखनऊ।

यह अनुबन्ध मुख्य चिकित्सा अधिकारी सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य सोसाइटी जौनपुर द्वारा निविदा प्रक्रिया उपरान्त अनुबन्ध सेवा शर्तो के अनुरूप जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक दिनांक–29.05.2017 में लिए गये निर्णय के अनुपालन में अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, स्वास्थ्य शिक्षाधिकारी,अपर शोध अधिकारी, ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर एवं ब्लॉक डाटा कमएकाउन्टेन्ट तथा अन्य सम्बधित अधिकरियों हेतु पर्यवेक्षण/भ्रमण के लिये दिशा निर्देश के क्रम में निविदा न्यूनतम दर **रू0 29400/–** प्रति सामु0/प्रा0स्वा0केन्द्र प्रति वाहन प्रतिमाह दिशा–निर्देश के अनुरूप की जाती है यह अनुबंध आज **दिनांक–10.06.2017 से 31.03.2018** अथवा जिला स्वास्थ्य समिति में लिए गये निर्णय के अनुपालन में तक मान्य होगी, परन्तु सम्बन्धित देयको का भुगतान सामु0/प्रा0स्वा0केन्द्रों पर वाहन की उपलब्धता दिनांक से किया जायेगा, यह अनुबंध वित्तीय वर्ष 2017–18 में किसी भी समय उच्चधिकारियों का निर्देश प्राप्त होते ही अथवा कार्य संतोषजनक न होने पर कभी भी समाप्त किया जा सकता है इसमें द्वितीय पक्ष के द्वारा कोई सहमति अथवा स्पष्टीकरण/नोटिस लेने/देने की आवश्यकता नही होगी।

अनुबंन्ध उपरान्त द्वितीय पक्ष की यह जिम्मेदारी होगी कि निविदा सेवा शर्तो के अनुरूप एक सप्ताह के अन्दर मुख्यालय हेतु 2 सामु0/प्रा0स्वा0केन्द्रों हेतु 20 पर उपलब्ध करानी होगी। तथा समय–समय पर प्रथम पक्ष के द्वारा दिये गये निर्देश के अनुपालन में द्वितीय पक्ष को आपूर्ति करनी होगी कार्मिशयल वाहन जो वर्ष 2014 से पूर्व की न हो (बुलोरो,टाटा सुमो,स्कार्पियों,आदि) वाहन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें। उक्त के साथ–साथ कार्मिशयल वाहन से सम्बन्धित अभिलेख जैसे पंजीयन,विस्तृत बीमा फिटनेस,प्रदूषण तथा अन्य टैक्स परमिट उपलब्ध कराना होगा, होगा, तदोपरान्त प्रथम पक्ष के द्वारा सामु0/प्रा0स्वा0केन्द्र का आवन्टन किया जायेगा जिसको द्वितीय पक्ष/वाहन स्वामी को मानना होगा।

1. **द्वितीय पक्षकार मुख्यालय/सामु0स्वा0केन्द्र**/प्रा0स्वा0केन्द्र **अन्तर्गत** क्षेत्र भ्रमण एवं पर्यवेक्षण हेतु निम्न शर्ते पूरी करेगा।

क–द्वितीय पक्ष/अनुबन्धित वाहन स्वामी वाहन जो **सामु0स्वा0केन्द्र**/प्रा0स्वा0केन्द्र में प्रतिदिन प्रातः 9:00 बजे से सम्बंधित चिकित्सालय पर उपस्थित होना होगा तथा प्रभारी अधिकारी/अन्य सम्बंधित अधिकारी के द्वारा दिये गये निदेशानुसार पर्यवेक्षण एंव भ्रमण एवं राजकीय कार्य हेतु जाना होगा।

ख–अनुबंधित वाहन प्रत्येक माह 2000 किलो मीटर चलने हेतु अनुबंध की जा रही है। द्वितीय पक्ष के द्वारा अनुबंध वाहन के साथ–साथ कार्मशियल वाहन चालक एवं ईधन अन्य उपलब्ध कराने होगे।

For GOVIND TRAVELS

Chief Medical Office

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BD 622251

ग–द्वितीय पक्ष के द्वारा समय–समय पर वाहन की मरम्मत एवं अन्य सर्विस कार्य कराने होगे वाहन दुर्घटनाग्रत होने पर किसी भी क्षति/अन्य क्षति की पूर्ण जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की मानी जायेगी वाहन खराब अथवा वाहन न उपलब्ध करा पाने के कारण द्वितीय पक्ष के द्वारा वैकल्पिक वाहन व्यवस्था उसी दिन सम्बंधित प्रभारी अधिकारी को उपलब्ध करानी होगी तथा वाहन न उपलब्ध होने की दशा में प्रभारी अधिकारी के द्वारा की गयी अन्य वाहन का किराया द्वितीय पक्ष को देना होगा, जो अधिकतम 5 दिन ही मान्य होगी।

घ–वाहन के संबंध में वाहन सेवा से सम्बंधित सन्तुष्टि सम्बंधित प्रभारी अधिकारी,के द्वारा की जायेगी जिसको द्वितीय पक्ष को मानना होगा।

ड़–प्रथम पक्ष को यह पूर्ण अधिकार होगा कि वाहन के सम्बंध में असन्तुष्ट होने बिना कोई नोटिस देकर अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा, इस हेतु किसी पक्ष द्वारा मा0 न्यायालय में चुनौती नही दी जा सकती है।

च–वाहन के पास टैक्सी परमिट फिटनेस आदि सम्बंधि अभिलेख पूर्ण करने होगे तथा समय–समय पर जमा की जाने वाली करो का द्वितीय पक्ष के द्वारा करना होगा।

छ–वाहन के संचालन एवं रख–रखाव सम्बंधित समस्त व्यय तथा पार्किंग शुल्क टूल टैक्स आदि द्वितीय पक्षकार द्वारा वाहन किया जायेगा।

ज–वाहन को 24 घण्टे रखने हेतु एवं वाहन की साफ–सफाई आवश्यक रख–रखाव द्वितीय पक्षकार द्वारा किया जायेगा। नियमित जॉच हेतु वाहन को वर्कशाप भेजने की स्थिति में द्वितीय पक्षकार को अन्य वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराना होगा।

7. द्वितीय पक्षकार सुरक्षा निधि के रूप में जिला स्वास्थ्य सोसाइटी के पक्ष में धरोहर धनराशि जो निविदा के साथ जमा की गयी किसी पक्ष के द्वारा 15 दिन के नोटिस देकर अनुबंध खत्म करने पर या अनुबंध पूरी होने पर प्रथम पक्षकार द्वारा द्वितीय पक्षकार को वापस कर दिया जायेगा।

8. वाहन चालक के पास वैध कार्मिशयल लाईसेन्स होना अनिवार्य है द्वितीय पक्ष द्वारा नियोजित किये वाहन चालक के लिए नियोक्ता/अन्य किसी भी प्रकरण में द्वितीय पक्ष ही होगा प्रथम पक्ष पर विधिक कोई दायित्व/जिम्मेदारी नही होगी। द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेगा की वाहन चालक प्रथम पक्ष द्वारा नियुक्त नियन्त्रणकर्ता अधिकारी निर्देशो का पालन करेगा द्वितीय पक्ष का यह दायित्व होगा कि यह सुनिश्चित करें। की वाहन चालक कभी–कभी वाहन का संचालन न करें।ऐसा पाये जाने पर सुरक्षा निधि राशि जब्त कर अनुबध तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष का होगा।

For GOVIND TRAVELS

Proprietor

Chief Medical Offi-

Jaunpur

9. वाहन की छोटी–मोटी टूट–फूट तत्काल सुधारने की व्यवस्था द्वितीय पक्ष के द्वारा करने होगी बड़ी टूट–फूट भी 24 घण्टे सुधार कराने के या वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराने का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा।

10. द्वितीय पक्ष द्वारा दी जा रही सेवाओं समय–समय निरीक्षण करने / जानकारी प्राप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष अथवा उसके प्राधिकृत अधिकारी का होगा।

11. अनुबंध के संबंध कोई भी विवाद होने की स्थिति में निपटारा केवल जनपद के न्यायालय में होगा जिनका निर्णय दोनो पक्ष को मान्य होगा।

12. द्वितीय पक्ष द्वारा किये गये कार्यो की समीक्षा एंव मूल्यांकन करने का अधिकारी प्रथम पक्ष का होगा प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा व द्वितीय पक्ष से इस सम्बध में लिखित स्पष्टीकरण माग सकता है एवं स्पष्टीकरण का जवाब सन्तोषजनक नही पाये जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को 15 दिन की सूचना देकर अनुबंध समाप्त करने का अधिकार होगा। तथा धरोहर राशि भी जब्त की जा सकती है।

हस्ताक्षर.......

द्वितीय पक्ष For GOVIND TRAVELS

नाम – गोविन्द ट्रेवेल्स

जीवन प्लाजा विरामखण्ड–5 गोमती नगर

लखनऊ ।

मोबाइल नम्बर–9721442211

हस्ताक्षर.........

प्रथम पक्ष

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,

जनपद–जौनपुर।

Chief Medical Offic
Jaunpur

दो गवाहो का नाम, हस्ताक्षर एवं पता

1. हस्ताक्षर..
नाम..
पता..
मो0नं0..

2. हस्ताक्षर..
नाम..
पता..
मो0नं0..

प्रेषक,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
जौनपुर।

सेवा में,

मिशन निदेशक
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
उत्तर प्रदेश,लखनऊ।

पत्रांकः–एन0एच0एम0 / पर्यवेक्षण / मूल्यांकन / 2017–18 / 23213 दिनांक–01.11.2017

विषयः– राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन कार्यक्रम में अनुबन्धित वाहन की सूचना का प्रेषण।

महोदय,

उपरोक्त विषयक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रम का अनुश्रवण /मूल्यांकन किये जाने हेतु जनपद में पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन कार्यक्रम में अनुबन्धित वाहन की सूचना निम्नवत आपकी सेवा में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

क्र0सं0	सामु0 / प्रा0स्वा0केन्द्र	प्रभारी अधिकारी का नाम	मोबाइल नं0	वाहन संख्या
1.	जलालपुर	डा0 आर0के0 सिंह	9450538966	UP-62AT-0214
2	केराकत	डा0 विशाल यादव	9415231089	UP-62AT-5051
3	डोभी	डा0 एस0के0 वर्मा	9919852060	UP-62T-8779
4	मुफ्तीगंज	डा0 श्रवण कुमार	9839971409	UP-62T-9111
5	धर्मापुर	डा0 डी0के0 गिरि	9919997580	UP-65BT-9574
6	करंजाकला	डा0 योगेश कुमार	9125850787	UP-62AT-6675
7	सोंधी	डा0 डी0एस0 यादव	9415983176	UP-62AR-9899
8	खुटहन	डा0 मनोज कुमार	9415382302	UP-70FT-1588
9	सुइथाकला	डा0 जैसलाल	9415868253	UP-44T-8730
10	बदलापुर	डा0 एस0सी0 वर्मा	9839118041	UP-70DT-7632
11	बक्शा	डा0 अरूण कन्नौजिया	9450121936	UP-62AF-6557
12	महराजगंज	डा0 यू0के0 सान्याल	9451114505	UP-62T-9978
13	सुजानगंज	डा0 ए0के0 सिंह	9956692579	UP-62AT-2767
14	मु0बादशाहपुर	डा0 आर0पी0 सिंह	9793291797	UP-62AT-2768
15	मछलीशहर	डा0 रफीक	9451435343	UP-62AJ-8613
16	सिकरारा	डा0 मनोज चौरसियॉ	8948345302	UP-62AV-1920
17	मडियाहूँ	डा0 पी0के0 सिंह	9839784640	UP-62AT-5454
18	रामनगर	डा0 आलोक सिंह	9695344089	UP-65FT-2247
19	रामपुर	डा0 प्रभात कुमार यादव	9454545181	UP-66T-6043
20	बरसठी	डा0 सूर्यभान पटेल	9793970028	UP-62AH-0177
21	मुख्यालय	डा0 आर0एस0 कुशवाहा	9415621736	UP-62AT-6360
22	मुख्यालय	डा0 आर0एस0 कुशवाहा	9415621736	UP-62AT-5931

भवदीय

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
जौनपुर।

पत्रांकः–एन0एच0एम0 / पर्यवेक्षण / मूल्यांकन / 2017–18 / दिनांकित–

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महाप्रबन्धक,अनुश्रवण एवं मूल्यांकन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,उत्तर प्रदेश,लखनऊ।
2. अपर निदेशक,चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,वाराणसी मण्डल वाराणसी।
3. अभिलेखार्थ।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
जौनपुर।